#### GOVERNMENT BILLS

#### The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2023

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2023. *... (Interruptions)...* Shri Pralhad Joshi to move a motion for consideration of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2023. *... (Interruptions)...* 

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; THE MINISTER OF COAL; AND THE MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration." *The question was proposed.* 

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Motion moved. *... (Interruptions)... Mananiya* Joshi*ji*, you can speak something on the Bill. *... (Interruptions)...* I now call upon the Members whose names have been received for participation in the discussion. *... (Interruptions)...* Dr. Sasmit Patra, please. *... (Interruptions)...* 

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Mr. Deputy Chairman, Sir, on behalf of my Party, the Biju Janata Dal, and Hon'ble Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, we support the Bill. *... (Interruptions)...* 

## श्री उपसभापति : सिर्फ आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी।

DR. SASMIT PATRA: This is an important Bill as far as the exploration and mining of minerals in India is concerned. *....(Interruptions)...* It is a long hindered process.....(Interruptions)...

## श्री उपसभापति : सिर्फ डा. सस्मित पात्रा जी की ही बात रिकॉर्ड पर जा रही है।

DR. SASMIT PATRA: It is a complex process requiring multiple permits and licenses and the proposed Amendment of 2023 aims to suggest introducing exploration licenses for deep-seated and critical minerals through auctions. *...(Interruptions)...* It also provides for private companies to conduct reconnaissance and prospecting operations, encouraging private participation and exploration which are crucial for various industries. ... (Interruptions)...

श्री उपसभापति : कृपया आप सभी अपनी सीट्स पर बैठें। यह महत्वपूर्ण बिल है, जिस पर चर्चा हो रही है। Please. ...(Interruptions)...

DR. SASMIT PATRA: Sir, I will speak from there. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Sasmit Patra. *...(Interruptions)...* केवल आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी।

DR. SASMIT PATRA: Hon'ble Deputy Chairman, Sir, I stand to support the Bill on behalf of my party, the Biju Janata Dal and my leader Shri Naveen Patnaik. *...(Interruptions)...* The analysis of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2023 is extremely crucial. *...(Interruptions)...* It provides to suggest introducing exploration licenses for deep-seated and critical minerals through auctions. *...(Interruptions)...* This will also provide for Government also intending to remove six minerals, including lithium-bearing minerals, from the list of atomic minerals through this Amendment. *...(Interruptions)...* 

The proposed Amendment in Section 3 and Section 4 of the principal Act introduces the term "exploration license" and, along with that, it also excludes six minerals from the list of Act, namely, beryllium, lithium, niobium, titanium, tantallium and zirconium which are extremely crucial. ... (Interruptions)... Presently, they are restricted for mining by Government entities only. ... (Interruptions)... However, by removing from this list, private sector involvement would be allowed leading to a significant increase in exploration and mining capability for the crucial minerals in this country. ... (Interruptions)... The new Amendments deal with the grant of exploration licenses and the State Governments can also grant exploration licenses for reconnaissance or for prospecting operations. ... (Interruptions)... At this point of time, I would like to emphasize that my State of Odisha is a mineral rich State and by providing these details and these prospecting licenses and exemptions, it would also help to provide the right kind of an environment by which we can improve the mines and minerals sector. ... (Interruptions)... My Hon'ble Chief Minister Shri Naveen Patnaik and the Biju Janata Dal is standing hard and strong to ensure that these issues are taken up. ...(Interruptions)...

#### [RAJYA SABHA]

Sir, I would also like to bring to your notice that there are certain advantages because of this Bill. ... (Interruptions)... There are a number of deep-seated minerals such as gold, silver, copper, zinc, lead and nickel which are difficult and expensive to explore and, therefore, it is essential that with this specific Bill, we would be able to harvest them. ...(Interruptions)... I would give you a specific example. ...(Interruptions)... Incidentally, the country is import dependent on some of the very critical minerals like lithium, nickel, copper and cobalt. ... (Interruptions)... In the Financial Year 2023, India's lithium import bill was around Rs.23,171 crore. ...(Interruptions)... While, when you look at the covered electric accumulators, including separators, it goes much beyond. ... (Interruptions)... In 2022, the import for lithium was more than Rs.13,000 crore. ... (Interruptions)... By this Amendment, we would be able to ensure that this dependency on imports will reduce and because lithium and many such metals are used, especially, in energy vehicles, EV vehicles and green energy, this would be really useful for ensuring that we are going towards the Carbon Net Zero and the vision that the country has. I would also like to state one specific thing regarding the State of Odisha. In this regard, we would like to state that there is a specific notion .... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, Shri Derek O' Brien, come to your seat. ...(Interruptions)... This is not proper. ...(Interruptions)... Please go to your seat. ...(Interruptions)... Shri Derek O' Brien, this kind of behavior is not expected from a senior Member like you. ...(Interruptions)... Please, let him speak. ...(Interruptions)... Nothing will go on record. ...(Interruptions)...

DR. SASMIT PATRA: Sir, there is a specific notion and the mines and mineral in... *(Interruptions)...* 

श्री उपसभापति : माननीय सदस्यगण, जब हाउस ऑर्डर में नहीं है, तो कोई प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। ...(व्यवधान)...

DR. SASMIT PATRA: Sir, in February, 2023, the Ministry of Mines Report had established that 'lithium inferred resources' have been found through the physical and chemical study of the surface and samples in Salal-Hamima area of Reasi District of Jammu and Kashmir. ...(Interruptions)... These resources to the tune of 5.9 million tones have been established as part of the "Reasi Sersandu-Kherikot-Rahotkot-Darabi' mineral block, where prospecting has been going on since 2021-22.

...(Interruptions)... By ensuring that we are able to undertake the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, we will be able to open the sector for such mining, and, by doing that, we will be able to make the country stronger, we will be able to reduce the imports of lithium and in the carbon net-zero era, India will be able to march forward. With these words, we support and commend the Bill. ...(Interruptions)... Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Ayodhya Rami Reddy Alla. ...(Interruptions)... Please. ...(Interruptions)...

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA (Andhra Pradesh): I thank Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2023. ... (Interruptions)...

**श्री उपसभापति** : माननीय सदस्यगण, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के लिए हाउस ऑर्डर में होना चाहिए। You know the rules. ...(Interruptions)... प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के लिए हाउस ऑर्डर में होना चाहिए। ...(व्यवधान)... Please speak. ...(Interruptions)...

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: On behalf of YSRCP and our leader, Shri Y.S. Jagan, we support this Bill. ... (Interruptions)... The objective of this Bill is that this Bill amends the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 which regulates the mining sector. ... (Interruptions)... Now, the features of this Bill are this. Sir, as you know that this Bill allows previously-prohibited activities such as pitting, trenching, drilling and sub-surface excavation. ...(Interruptions)... It introduces an exploration licence, which will authorize either reconnaissance or prospecting, or both activities for 29 minerals specified in the Seventh Schedule. ...(Interruptions)... These include gold, silver, copper, cobalt, nickel, lead, potash and rock phosphate. ... (Interruptions)... These also include six minerals classified as atomic minerals under the Act: (i) beryl and beryllium, (ii) lithium, (iii) niobium, (iv) titanium, (v) tantallium, and (vi) zirconium. ...(Interruptions)... The Bill declassifies them as atomic minerals. ... (Interruptions)... Under the Act, auction of concessions is undertaken by the State Governments, except in certain specified cases. ... (Interruptions)... The Bill adds that auction for composite licence and mining lease for specified critical and strategic minerals will be conducted by the Central Government. ... (Interruptions)... These minerals will include lithium, cobalt, nickel, potash, tin and rock phosphate. ... (Interruptions)... However, concessions

#### [RAJYA SABHA]

will still be granted by the State Government. ... (Interruptions)... Now, the positives of this Bill are these. This Bill allows for larger participation of the private sector, especially, for the sought-after lithium. ...(Interruptions)... As the Bill brings in lithium out from the list of restrictive atomic minerals which require mining grants from the Centre, it will allow for greater utilization of the mineral, especially, in view of the recent lithium reserves discovered in India. ... (Interruptions)... Lithium is also a critical mineral, used extensively for making batteries for electric vehicles and will aid in our transition to greener technology. ... (Interruptions) ... Now, Sir, next point is about removal of clearances. ... (Interruptions)... The proposed amendments also remove the cumbersome forest clearances for prospecting operations, making it easier for private firms to participate in the exploration of the country's mineral resources. ... (Interruptions)... Now, the next point is about expedition of auctions. ...(Interruptions)... The reform proposals in the Bill include allowing States to grant composite mineral licences without having to get approval from the Centre. ...(Interruptions)... This will enable State Governments to put up blocks for auction at a faster pace. ... (Interruptions)... It will also raise and fix mineral-wise maximum area limits for mineral concessions to provide larger and more economic mines to investors. ...(Interruptions)... There are a few things around Andhra Pradesh which we really want to bring to your kind notice. ... (Interruptions)... Sir, a commitment was made by the Government of India under the Reorganization Act to provide iron ore for the YSR Steel Corporation Limited. ... (Interruptions)... The YSR Steel Corporation Limited was established by the State of Andhra Pradesh with the goal of building and running a new steel factory in the Kadapa area. ... (Interruptions)... The facility which would produce high-grade steel products is planned to have an annual capacity of three million tonnes. ... (Interruptions)... The steel plant's main goal is to provide the people of the Rayalaseema area with long-term employment and livelihood prospects. ... (Interruptions)... According to the projections, at least, 28,000 local households will benefit from this. ... (Interruptions)... Additionally, it is also anticipated that the construction of the steel factory and the expansion of related sectors would drastically alter the environment of the drought-affected region of Rayalaseema bringing much-needed benefits to the area. ...(Interruptions)... However, the steel plant requires iron ore, which was promised under the AP Reorganisation Act, 2014, for the steel plant initiative. ... (Interruptions)... Therefore, I would ask the Centre to keep its words since the project will have a good effect on the area. ...(Interruptions)... The second point that I want to bring to your notice is reservation of beach sand mineral area in favour of APMDC (Andhra Pradesh Mineral Development Corporation). ... (Interruptions)... With the second longest coastline in India, Andhra Pradesh has a lot of potential for mining minerals found in beach sand, including uranium and thorium. ... (Interruptions)... The State administration has requested that AP Mineral Development Corporation be granted exclusive use of 16 Beach Sand Minerals bearing regions totalling 16,604 to hectares. ...(Interruptions)... However, approval from the Department of Atomic Energy is still waiting for 14 mineral-bearing regions. ...(Interruptions)... I urge that the Department of Atomic Energy be given the required instructions so that these 14 BSM-bearing regions may be reserved in favour of A.P. Mineral Development Corporation. ... (Interruptions)... In order to use these minerals for the benefit of the country, the State Government wants to create an Integrated Beach Sand Mineral Project with downstream units for value-added goods. ... (Interruptions)... To help with the construction of Integrated Beach Sand Mineral Project and utilize the otherwise underutilized minerals, a request has been filed to the Ministry of Mines to relax the area limit permitted under Rule 6(1) of the Mines and Minerals Development and Regulation Act, 1957. ... (Interruptions)... I request the Ministry to take up this issue at the earliest. ... (Interruptions)... With all these recommendations and also the assurances that we need from the Government of India, I urge upon the Centre to resolve the issues and with this, I support the Bill. ... (Interruptions)... Thank you, Sir. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. M. Thambidurai. ... (Interruptions)...

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I want to support this Bill brought by Shri Pralhad Joshi...(Interruptions)... Our AIADMK Party is supporting the Bill...(Interruptions)... At the same time, we want to raise certain points which in Tamil Nadu...(Interruptions)... Mr. Deputy Chairman, Sir, ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(Interruptions)... माननीय सदस्यगण, आप जानते हैं कि हम Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2023 को डिस्कस कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... प्लीज झा साहब ...(व्यवधान)...यह बिज़नेस है। अगर माननीय एलओपी इस विषय पर बोलना चाहेंगे, तो उनका स्वागत है। ...(व्यवधान)... आप में से यदि कोई भी बोलना चाहता है, तो उसका स्वागत है। ...(व्यवधान).... Otherwise, Rule 110 will apply. ...(Interruptions)... Please. ...(Interruptions)... THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Thank you, Sir. ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आपको चेयरमैन साहब ने जिसके लिए डिसअलाउ कर दिया, उस इश्यू को कृपया आप नहीं उठायें। ...(व्यवधान)...आपको इस बिल पर बोलना है, तो बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : आप क्यों ऐसा presume कर रहे हैं कि मैं रूल 267 पर बोलूंगा? ...(व्यवधान)...यही तो मुश्किल है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : जो established Rules of Procedure है...(व्यवधान)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : आप क्यों बोलना चाहते हैं...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप फिर बाहर जाकर कहेंगे कि माइक ऑफ हो गया, जो कि गलत सूचना होती है। ...(व्यवधान)... जो established Rules of Procedure है, उनके तहत आप अपनी बात कहिए। ...(व्यवधान)...

# श्री मल्लिकार्जुन खरगे : \*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(Interruptions)... Nothing will go on record. ...(Interruptions)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : उन्होंने प्वांइट ऑफ ऑर्डर के लिए हाथ उठाया है। ...(व्यवधान)...

DR. M. THAMBIDURAI: Mr. Deputy Chairman, Sir ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please ...(Interruptions)... Nothing is going on record, LoP sahab...(Interruptions)... प्लीज़ बैठें। ..(व्यवधान)... यह कैसे संभव है? हाउस ऑर्डर में नहीं है, मैं कैसे प्वाइंट ऑफ ऑर्डर दूं? ..(व्यवधान)... No, I cannot give. ...(Interruptions)... Please, you continue your speech. ...(Interruptions)...

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I appreciate the Hon'ble Minister for having brought up this Bill. ... (Interruptions)... It has many salient features, for example, to insert the

<sup>\*</sup>Not recorded.

provision of an exploration license which will be granted through auctions for undertaking reconnaissance and prospecting. ... (Interruptions)... Sir, auction is the best method which we support, we appreciate that. There cannot be any malpractice in that. ... (Interruptions)... We know that during the previous Government's time, there was a lot of misuse... ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please! ... (Interruptions)... Mr. Derek O' Brien, please come to your seat. ... (Interruptions)...

DR. M. THAMBIDURAI: There was misuse of coal mines. ... (Interruptions)... So many cases are still pending. ... (Interruptions)... I request the Central Government to take action against those who have misused it in those days by giving earlier, and I hope the Government will take necessary action. ... (Interruptions)... I want to mention another important thing here. In Tamil Nadu, there is the Neyveli Lignite Corporation. ...(Interruptions)... Yesterday, I raised the question as to what was happening there. ... (Interruptions)... At that time, the Hon'ble Minister said that it can be referred to Hon'ble Minister. ... (Interruptions)... I told the Minister that the agitation is going on in Neyveli Lignite Corporation because extraction from the mines was affecting the farmers. ... (Interruptions)... They are requesting the State Government as well as the Central Government to save their lands. ...(Interruptions)... Because they are trying to acquire more land for mining, the farmers are agitating. ...(Interruptions)... They are agitating against the Neyveli Lignite Corporation, and there are problems. ... (Interruptions)... I request the Minister to come forward to help in this matter. ... (Interruptions)... The other features, whatever he said regarding the license would be granted only... ...(Interruptions)... I would like to make one more point. ...(Interruptions)... In Tamil Nadu, lot of minerals are being mined without proper license. ...(Interruptions)... They are taking minerals to the neighbouring States such as Kerala and Karnataka. This type of thing is going on. For example, without getting licence, they are taking minerals to Kerala and even to Karnataka. ...(Interruptions)... People say that sand mafias are operating there. ...(Interruptions)... Therefore, I request the Central Government to take action against such people who are acting in connivance ... (Interruptions)... Such illegal mining activities are going on. Therefore, I request the Central Government to take action in this regard. ... (Interruptions)... I would again request the Hon'ble Minister

to take care of the interest of the farmers and see to it that the agitation at the Neyveli Lignite Corporation comes to an end. ... (Interruptions)...

Sir, I support the Bill. ... (Interruptions)... Thank you. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri V. Vijayasai Reddy, please speak. आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी। ..(व्यवधान)..

(At this stage, some Hon'ble Members left the Chamber.)

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. On behalf of my Party, and my Party President, Shri Y. S. Jagan Mohan Reddy Garu, I support the Bill.

Sir, there are three important points. One is, high import reliance; the second is high infrastructure and investment requirements; and the third is, developing recycling capabilities. ...(Interruptions)... Sir, the first point is, the Ministry of Mines has recently released a report on Critical Minerals which identifies 30 critical minerals, taking into account the needs of sectors like defence, agriculture, energy, pharma and telecom. Out of these 30 critical minerals, for ten critical minerals, hundred per cent import reliance is required. These include minerals like Lithium and others, as our colleagues have stated. Out of these ten critical minerals, India's import dependence on China is hundred per cent in respect of seven critical minerals, which is very, very dangerous and is not advisable at all. While the Bill paves the way for reducing India's import dependence for critical minerals, I request the Hon'ble Minister to provide clarity on how India will achieve this mammoth goal and catch up to China.

Secondly, Sir, critical minerals are found mostly as constituent part of larger minerals, it is only one constituent part of the larger minerals which makes their extraction very expensive, technologically very superior. Except countries like Japan and China, no other country has developed the expertise for the entire process. In these circumstances, the entire process is highly capital-intensive and requires complex infrastructure, which India does not have presently. I request the Hon'ble Minister to kindly look into the development of infrastructure and provide the required capital and the necessary subsidies to the mineral exploring companies.

My third point is regarding recycling. In addition to the extraction of these critical minerals, it is very much necessary to ramp up the exploration of mining activities. There is a need to emphasise and concentrate on recycling of these critical

92

minerals after use. Although it is comparatively lengthy and challenging process, it will surely be cost-effective in the long run, as it will reduce the need for mining while maximising the overall utility of the existing critical minerals.

Currently, we have no legislation on the policy on recycling of critical minerals, which is a matter of concern. I request the concerned Minister to make necessary amendments to the law in relation to recycling. With these suggestions, I support the Bill. Thank you very much, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The next speaker is Dr. Kirodi Lal Meena; not present. The next speaker is Shri G.K. Vasan.

SHRI G.K. VASAN (Tamil Nadu): Sir, this is a very important Bill which has been brought at the right time by our Hon'ble Minister. I would like to raise two quick points about this Amendment Bill. One is that this Amendment Bill will help India's EV focus because Lithium is a key mineral for EV and the Bill allows larger mining of Lithium by private sector. This will, definitely, help our 2070 Net Zero goal. I am happy about it and I thank the Minister for it. Sir, one more point is that there are some minerals which are difficult and expensive to explore. This Bill will help to explore the minerals like Cobalt-Zirconium and automatic minerals.

My last point which I would like to mention is about Neyveli Lignite Corporation, NLC in Tamil Nadu. Sir, poor farmers have given their land to the NLC and because of that today NLC is a very successful company which gives electricity to Tamil Nadu and some other States. I request the Central and the State Government to save the farmers. The State Government is destroying the cultivated farming land and is harassing the farmers. I again request that the poor farmers have to be helped and the lands have to be restored, and at the same time, they have to be given proper due time for settlement. With these suggestions, I support this Bill. Thank you, Sir.

## श्री उपसभापति : माननीय दीपक प्रकाश जी। आपके पास 6 मिनट हैं।

श्री दीपक प्रकाश (झारखंड) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक के समर्थन में खड़ा हूँ। सबसे पहले मैं प्रधान मंत्री, सम्माननीय नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ और उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। साथ ही, मैं खान मंत्री जी का भी अपनी ओर से दिल की गहराई से अभिनंदन करना चाहता हूँ और उन्हें इस विधेयक को लाने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। इस विधेयक की आत्मा में भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प है। इस विधेयक में भारत को समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत बनाने का संकल्प है। 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया एंड मेक फॉर ग्लोब', यह इस विधेयक की आत्मा में निहित है। मैं कह सकता हूँ कि यह दृष्टि, यह संकल्प और यह इरादा प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी का है, जिसने उनको दूसरे प्रधान मंत्रियों से अलग बनाने का काम किया है। इसलिए केवल भारत के ही नहीं, बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज दुनिया उनको जानती है। इस विधेयक के संदर्भ में मैं खास करके उन दिनों को याद कर रहा था। महोदय, मैं जिस रत्नगर्भा भूमि - झारखंड से आता हूं, वहां पर कोयला और अन्य प्रकार की खनिज सम्पदाओं का भंडार है। मैंने देखा है कि 2014 से पहले, जब यूपीए की सरकार थी, **\*(व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : दीपक प्रकाश जी, आप अपने सब्जेक्ट पर बोलिए।...(व्यवधान)...

श्री दीपक प्रकाश : जी हां, सर, मैं सब्जेक्ट पर ही बोल रहा हूं। सर, कुछ चीज़ों को जोड़ना जरूरी होता है। \*...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : दीपक जी, आपको Rules of procedure मालूम हैं। पार्लियामेंटरी रूल्स के तहत रूल 110 और रूल 240 में ये बातें लिखी हैं।...(व्यवधान)... Please come on to the subject.

श्री दीपक प्रकाश : सर, मैं विषय पर ही आ रहा हूं। \*..(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : यह सब्जेक्ट rare minerals के बारे में है।...(व्यवधान)... Please come to the subject.

श्री दीपक प्रकाश : सर, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं \*...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : अगर आप सब्जेक्ट पर नहीं आएंगे, तो आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी।...(व्यवधान)...

श्री दीपक प्रकाश : सर, मैं सब्जेक्ट पर ही आ रहा हूं।

श्री उपसभापति : दीपक जी, अगर आप सब्जेक्ट पर नहीं बोलेंगे, तो आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी।

\*Not recorded.

श्री दीपक प्रकाश : हम अपने लोगों को केवल इतना स्मरण करवाना चाहते हैं...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Be on the subject, please.

श्री दीपक प्रकाश : सर, हम जानते हैं कि हमको विषय पर ही आना है। हम कह सकते हैं कि यह विधेयक न केवल खान और खनिज के लिए क्रांति का काम करेगा, बल्कि भारत को समर्थ भारत बनाने की दिशा में क्राति का संदेश भी देगा।

महोदय, अभी मैं 2014 से पहले की चर्चा कर रहा था, लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जब देश की बागडोर को अपने हाथों में लेने का काम किया, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने खान और खनिज सम्पदा को देश के लिए और देशवासियों के लिए रखने का काम किया। उन्होंने देश के आर्थिक विकास को मज़बूत करने का काम किया। जितनी हमारी कोयला खदानें थीं, उन्होंने पारदर्शी नियमों के तहत उन कोयला खदानों की नीलामी करवाने का काम किया और देश के अंदर आदर्श स्थापित करने का काम किया।

महोदय, यह जो विधेयक है, इस विधेयक के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 2015 में जब यशस्वी नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने, तो उन्होंने खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत District Mineral Foundation Trust (DMFT) के माध्यम से, जिस राज्य में खनिज संपदा होगी, उसी राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए उस राशि को खर्च करने का प्रावधान करने का काम किया। मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ, मंत्री जी मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं पूरे संकल्प के साथ यह कह सकता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में DMFT Fund से social sector में जितने काम हुए हैं, उतने काम आजादी के बाद कभी नहीं हुए थे। DMFT का पैसा समाज के लिए, सोशल सेक्टर में रेगुलेशन लाने के लिए, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगाया जाएगा - यह संकल्प माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया है और हमारे मंत्री जी उस संकल्प को जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं।

आदरणीय उपसभापति जी, पहले CIA License और CM License पहले ही दे दिए जाते थे, लेकिन इस बिल के अंदर अलग से एक Exploration License देने का प्रावधान किया गया है। अब transparency और accountability के साथ नया exploration license दिया जाएगा, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि पहले CIA License और CM License में अनियमितता थी, उसमें 2014 से पहले भ्रष्टाचार की बदबू आती थी। 2014 के बाद, अब जब exploration license आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि वह देश के हित के लिए, मिनरल्स के हित के लिए और इंडस्ट्री के हित के लिए दिया जाता है। महोदय, हम जानते हैं कि इस संशोधन विधेयक में 12 परमाणु खनिजों की सूची में से 6 खनिजों को ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति : अब आप खत्म कीजिए।

# श्री दीपक प्रकाश : सर, मैं एक मिनट में खत्म कर देता हूँ।

महोदय, उस सूची में से 6 खनिजों को हटाने का प्रस्ताव है। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूँ कि इन 6 खनिजों में लिथियम, टाइटेनियम, बेरेलियम और जिरकोनियम जैसे खनिज शामिल हैं, जो आज की नई एवं उच्च प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण हैं। 12 परमाणु खनिजों की सूची में से जिन 6 खनिजों को हटाने का प्रस्ताव है, वे कभी परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अधिक उपयोग होने की वजह से परमाणु खनिजों की सूची में डाले गए थे। लेकिन आज दुनिया बदल रही है, विश्व बदल रहा है। आज ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में, प्रतिस्पर्धा की दुनिया में हमें आगे आना है, इसलिए उन जैसी चीजों को जो रखा गया था, ...(समय की घंटी)... जिन खनिज पदार्थों को उसमें रखा गया था, उन खनिजों को वहाँ से हटाकर हम दुनिया के अन्दर प्रतिस्पर्धा में आएँगे। जिन चीजों का हमें आयात करना पड़ता था, ...(समय की घंटी)...

श्री उपसभापति : माननीय दीपक जी, अब मैं दूसरे वक्ता को बुला रहा हूँ।

श्री दीपक प्रकाश : जिन चीजों का हमें आयात करना पड़ता था, ...(व्यवधान)...सर, मैं बस खत्म कर रहा हूँ।

श्री उपसभापति : अब मैं दूसरे वक्ता को बुला रहा हूँ।

श्री दीपक प्रकाश : सर, मैं बस यह कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि ...(व्यवधान)...

**श्री उपसभापति** : धन्यवाद।

श्री दीपक प्रकाश : उपसभापति जी, मुझे हर्ष है कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में जो क्रिटिकल खनिजों की खोज, उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय दीपक जी, अब मुझे दूसरे वक्ता को बुलाना पड़ेगा। ...(व्यवधान)...

श्री दीपक प्रकाश : महोदय, मुझे आशा है कि खनिज के क्षेत्र में दूरगामी परिणाम लाने वाले इस संशोधन बिल का यह सदन एक स्वर में समर्थन करेगा। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय सदस्यगण, मेरा आग्रह है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह बिल कितना महत्वपूर्ण है। यह rare minerals, earth minerals से सम्बन्धित है। अगर आप विषय पर बोलें, तो और ज्यादा अच्छा होगा। ...(व्यवधान)... प्लीज़। Shri Kanakamedala Ravindra Kumar; not present. Shri Baburam Nishad. श्री बाबू राम निषाद (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। खान और खनिज (विकास और विनियमन) का जो संशोधन विधेयक आया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, निश्चित रूप से हमारे देश में खान और खनिज सम्पदा भरपूर है। मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। हमारे देश में कहीं भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहाँ जिन 29 खनिजों की बात हुई है, नहीं पाए जाते हों। देश के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो - इन सभी क्षेत्रों में ये खनिज निश्चित रूप से पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एक मूल कमी यह है कि जिन किसानों के खेतों में खनिज पाया जाता है, उसकी जानकारी उनको नहीं होती है। अगर इसमें जिला प्रशासन सूचना देकर यह अनाउंस करे कि किसके खेत में कौन सा खनिज है, तो इससे उसकी सूचना सर्वसुलभ प्राप्त होगी। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो छोटा काश्तकार है, उसके खेत में भी खनिज होता है, लेकिन वह असहाय होता है, क्योंकि उसके पास उतनी सुविधाएँ नहीं हैं, पैसे नहीं हैं।

महोदय, मैं इसमें एक और व्यवस्था जोड़ने के लिए एक बात कहूँगा। जब भी उसको यह पट्टा प्राप्त हो, तो पट्टे में जो प्राथमिक रूप से धनराशि जमा करने की बात आती है, वह बहुत सूक्ष्म धनराशि होनी चाहिए, ताकि एनजीटी के द्वारा जारी एनओसी के समय ही पट्टा ग्रांट होने तक उसको जब पैसे की प्रॉब्लम हो, तो उसे इधर-उधर, दाएँ-बाएँ न देखना पड़े। जब इसमें व्यवस्था ऐसी सरल, सहज और सुलभ होगी... सर, यह जो माफिया है, वह इसमें बहुत हावी रहता है, वह जानता है कि कृषि के पट्टे में कहाँ कौन सी लैंड है और वह टाइम से पहले उसको लिखा लेता है, क्योंकि वह जानता है कि यह अभावग्रस्त है, इसके पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वह लिखा लेता है। इस प्रकार से वह किसान माफिया से बचेगा और निश्चित रूप से वह स्वावलम्बी भी होगा और राजस्व बढ़ाने में भी उसका योगदान होगा। साथ ही खनिजों की मात्रा की जो उपलब्धता है, वह सब बाजार में उपलब्ध कराएगा।

महोदय, एनजीटी के बारे में भी मेरा कहना है कि पट्टा होने के बाद एक लम्बा पीरियड एनजीटी द्वारा एनओसी जारी करने का सिलसिला चलता है। मैं उस एनओसी जारी करने के सिस्टम के बारे में भी माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इसमें भी एनजीटी को निर्देश दिए जाएँ, जिससे कि जब पट्टा ग्रांट हो, तो समय रहते एनजीटी एनओसी जारी करे, ताकि उसमें समय रहते खनन हो सके।

महोदय, सारे खनिजों के बारे में जानकारी के लिए इसमें जिला प्रशासन की बहुत अहम भूमिका होनी चाहिए और सरकार को, केन्द्र सरकार को तथा प्रदेश सरकार को, किसी न किसी एजेंसी के द्वारा भी इसकी पड़ताल के लिए उसे लगाना चाहिए, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले खनिजों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। सर, मैं ज्यादा लंबा सुझाव नहीं दूँगा। मेरे पास जो सुझाव थे, उन्हें मैंने प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से, यह बिल बहुत ही दूरदर्शी है, समावेशी है और हम इससे आत्मनिर्भर बनेंगे। आज हमें जो बाहर से आयात करना पड़ता है, हम उसे निर्यात करने की भूमिका में आएंगे और खनिज के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से, इससे हमारी संपदा बढ़ेगी। यही कुछ बातें करते हुए और सुझाव देते हुए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद। श्री आदित्य प्रसाद (झारखंड) : आदरणीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे 'खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023' के समर्थन में अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है।

माननीय उपसभापति महोदय, वर्तमान में भारत की बढ़ती घरेलू माँग एवं सामरिक जरूरतों की पूर्ति के लिए इस विधेयक का होना महत्वपूर्ण है। भारत में खनिजों की खोज और खनन लंबे समय से एक जटिल समस्या के कारण बाधित रहा है, परंतु इस प्रक्रिया को सरल करने की दृष्टि से देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 2015, 2016, 2020 एवं 2021 में अनेक संशोधन हुए हैं।

प्रस्तुत संशोधन से घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने, आत्मनिर्भरता को मजबूत करने, आयात की निर्भरता को कम करने और स्ट्रेटेजिक रूप से इंटस्ट्री की प्रगति और लाभ के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे भारत अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, ऊर्जा, इलेक्ट्रिक बैटरी के क्षेत्रों में आत्मनिर्भर और विश्वस्तरीय बन सकेगा तथा भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के संकल्प को भी बल मिलेगा। इसमें इस दृष्टि से संशोधन किया जा रहा है। इससे इस क्षेत्र में न सिर्फ नवीन तकनीक. बल्कि नए और बडे पैमाने पर निवेश भी बढेगा तथा व्यापार और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस अधिनियम से खान एवं खनिज क्षेत्रों की नीलामी प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता आएगी, क्योंकि हमेशा ऐसी धारणा रही है कि राज्य में चलने वाली सरकारें अपने पसंदीदा बोलीदाताओं को प्राथमिकता देती थीं और यदि उन लोगों को टेंडर नहीं मिलता था. उन लोगों को काम नहीं मिलता था, तो ऐसे कागजों को रद्द कर दिया जाता था, जिससे भाई-भतीजावाद को बढावा मिलता था। परिवार के लोगों को काम नहीं मिलने से लोग इस प्रकार के सिस्टम को इग्नोर करते थे। इस बिल के पास होने के बाद इस प्रकार की अनियमितताओं में कमी आएगी और नीलामी प्रक्रिया में नए निवेशकर्ताओं एवं कंपनियों को अवसर प्राप्त होगा। इस विधेयक से हमारी घरेलू खनिज उत्पादन क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। मुख्यतः उच्च एवं विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले खनिजों का उत्पादन बढ़ेगा। खनिकों के लिए लचीलेपन में वृद्धि के कारण कैप्टिव माइंस से अधिक-से-अधिक उत्पादन करने की अनुमति मिलेगी, क्योंकि वे अब आवश्यकता से अधिक उत्पादन को बेचने में सक्षम होंगी। यह ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ाएगा, प्रक्रिया का सरलीकरण करेगा और उन सभी प्रभावित पक्षों को लाभान्वित करेगा, जहाँ पर खनिज मौजूद है। यह परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को भी तेज करेगा। यह भारत में कुशल ऊर्जा बाजार का निर्माण करेगा और साथ-ही-साथ कोयला आयात को कम करके, कोयला खनन के क्षेत्र में आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी लाएगा। इस बिल के पास होने से खान एवं खनिज की नीलामी प्रक्रिया में पहले से ज्यादा पारदर्शिता आएगी और ज्यादा-से-ज्यादा रोजगार मिलने की संभावना है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 55 लाख लोगों को नौकरियाँ मिलने की संभावना है। ज्यादा गहराई में मिलने वाले खनिजों के खनन हेतु ज्यादा निवेश और उच्च तकनीकियाँ मिलेंगी, जो हमारी आत्मनिर्भरता की यात्रा को सुगम बनाएंगी। ...(समय की घंटी)...

सर, मैं पहली बार बिल पर बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा-सा समय और दीजिए। सर, आप पूरे देश के बारे में जानते हैं और झारखंड के बारे में विशेष रूप से जानते हैं, मैं उसी राज्य से आता हूँ। आदरणीय प्रधान मंत्री जी अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हैं, आम आदमी की चिंता करते हैं, गाँव, गरीब, किसान और मजदूर की चिंता करते हैं। डीबीटी के माध्यम से गाँव का गरीब व्यक्ति चादर बिछाकर गाँव में बैठता है, ग्राम सभा करता है और ग्राम सभा के माध्यम से योजना तय करके, उसका क्रियान्वयन करके, गाँव के व्यक्ति के विचार से योजना लागू करता है, इसलिए आज गाँव का व्यक्ति कहता है कि देश के यशस्वी प्रधान मंत्री इस प्रकार के काम कर रहे हैं। कोयला मंत्री जी के मार्गदर्शन पर आज झारखंड बहुत तेजी से कोयले के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन साथ-ही-साथ धनबाद जैसे क्षेत्र में, जहाँ पर इनके समर्थन से सरकार चल रही है, \*...(समय की घंटी)... प्रधान मंत्री जी के बारे में गाँव, गरीब, किसान बोलता है -

> "आप वह सूरज हैं, जिसको छूकर कोई जला नहीं, आप वह दीपक हैं, जिसके तले अंधेरा पला नही।"

आदरणीय मोदी जी जिस प्रकार से गाँव, गरीब, किसान और मजदूर की चिंता करके सूरज की तरह रोशनी फैलाने का काम कर रहे हैं, ...(व्यवधान)...

# **श्री उपसभापति** : धन्यवाद।

श्री आदित्य प्रसाद : उसी प्रकार मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय कोयला एवं खान मंत्री, सम्माननीय श्री प्रहलाद जोशी जी द्वारा जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 पेश किया गया है, उसके पूर्ण समर्थन में मैं आपके सामने खड़ी हूँ।

महोदय, इस संशोधन विधेयक में जो परमाणु खनिजों की सूची से 6 खनिजों को हटाने का प्रस्ताव है, मैं उसके लिए सरकार को बधाई देती हूँ। इन 6 खनिजों में lethium, titanium, beryllium, niobium, tantalum and Zirconium जैसे खनिज शामिल हैं, जो आज की नई एवं उच्च प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण हैं। एमएमडीआर अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग-ख में ये खनिज परमाणु खनिजों की सूची में विनिर्दिष्ट हैं। वर्तमान में इन खनिजों के लिए खनन पट्टे और कॉम्पोज़िट लाइसेंस केवल सरकारी कंपनियों को ही दिए जा सकते हैं, जिससे इन खनिजों के अन्वेषण और उत्पादन में कोई प्रगति नहीं हो रही थी।

महोदय, ये खनिज परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में कभी अपने अधिक उपयोग होने की वजह से परमाणु खनिजों की सूची में डाले गए थे, परंतु आज इन महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन गैर-परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में ज्यादा हो रहा है। अधिकतर मामलों में इन खनिजों का गैर-परमाणु उपयोग उनके परमाणु उपयोग से कहीं अधिक है। यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि ये 6 खनिज प्राकृतिक रेडियोधर्मी नहीं हैं। ये खनिज प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनका

<sup>\*</sup> Not recorded.

अंतरिक्ष उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, ऊर्जा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक बैटरी आदि में उपयोग किया जाता है और ये भारत की शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

महोदय, दुनिया भर के सभी देश अपने महत्वपूर्ण खनिजों के अर्जन और प्रसंस्करण के लिए उपयोगी योजनाएँ बना रहे हैं। इन क्रिटिकल खनिजों का उपयोग आने वाले समय में अधिक तेजी से बढ़ने वाला है। ये क्रिटिकल खनिज, जैसे लीथियम, कोबाल्ट, निकल, दुर्लभ मृदा तत्व, प्लैटिनम समूह के तत्व आदि आने वाले समय में पेट्रोलियम तेल जैसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जिन देशों के पास इन क्रिटिकल खनिजों का भंडार होगा या इनके प्रसंस्करण की क्षमता होगी, वही प्रगति के शिखर पर होंगे।

महोदय, मुझे हर्ष है कि माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश में भी क्रिटिकल खनिजों की खोज, उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में, केंद्र सरकार ने क्रिटिकल खनिजों को चिन्हित किया है और उनकी सूची जारी की है। हमारी सरकारी कंपनी "काबिल" विदेशों में क्रिटिकल खनिजों के अर्जन के लिए तत्पर है। उसी दिशा में, 6 क्रिटिकल खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटाने का एक बहुत बड़ा कदम हमारी सरकार ने उठाया है। इससे इन खनिजों का अन्वेषण और उत्पादन सभी कंपनियों के लिए खुल जाएगा। इन खनिजों के ब्लॉकों का आवंटन भी नीलामी से हो सकेगा। इसी के साथ, इस संशोधन विधेयक में क्रिटिकल खनिजों के अन्वेषण के लिए भी प्रावधान है।

महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में माननीय प्रधान मंत्री एवं माननीय केन्द्रीय मंत्री, सम्माननीय श्री प्रहलाद जोशी जी को सदन में अपनी ओर से शुभकामनाएँ देती हूँ कि आपने एक अच्छे कार्यहित के लिए इस संशोधन बिल को पेश किया। मैं इसका समर्थन करती हूँ। धन्यवाद, जय हिन्द!

श्री जुगलसिंह लोखंडवाला (गुजरात) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण बिल के लिए माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। इसी के साथ मैं इस बिल को लाने के लिए माननीय प्रहलाद जोशी जी का भी धन्यवाद करता हूं। महोदय, \* ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : कृपया आप विषय पर बोलिए।

श्री जुगलसिंह लोखंडवाला : मैं विषय पर ही बोल रहा हूं। जिन \*

श्री उपसभापति : आप बिल पर बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्री जुगलसिंह लोखंडवाला : \* ...(व्यवधान)...

<sup>\*</sup> Not recorded.

श्री उपसभापति : आप रूल जानते हैं, आप रूल के तहत विषय पर बोलेंगे, तो वही बातें रिकॉर्ड पर जाएंगी। ...(व्यवधान)...

श्री जुगलसिंह लोखंडवाला : सर, आज की तारीख में हम कोयला बाहर से आयात करते हैं। हम कोयले के मामले में दुनिया में चौथे नम्बर पर हैं। हमारे पास पर्याप्त कोयला होने के बावजूद पुरानी सरकारों ने इस पर ध्यान न देकर इसे संज्ञान में नहीं लिया।

मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि हमारे पास सोने का करीब 501 टन रिज़र्व पड़ा हुआ है। हम लोग सालाना 1 हज़ार टन सोना विदेशों से आयात करते हैं, खरीदते हैं। हमारे पास इस तरह की काफी सारी धरोहर है। इसके साथ-साथ पोटेशियम, लीथियम, टाइटेनियम आदि ऐसी अलग-अलग प्रकार की चीज़ों को पिछली सरकारों ने रिज़र्व करके बैन किया हुआ था। आज की सरकार में माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय प्रहलाद जोशी जी के नेतृत्व में इस बैन को हटाने के लिए परमिशन देने का काम इन रूल्स के माध्यम से आने वाले वक्त में होने वाला है, जिससे हम आने वाले वक्त में हमारी वे सभी चीज़ें, चाहे वह बैटरी हो, बैटरी से चलने वाला रिक्शा हो, कारें हों, हवाई जहाज़ हो, ऐसी कई चीज़ें हम अंतरिक्ष तक लेकर जा सकते हैं। ये जो धरोहर हें, ये हमारी धरोहर हें, क्योंकि आज हमारा पैसा बाहर जा रहा है। ये सभी चीज़ें, चाहे पोटेशियम हो, लीथियम हो, बैटरी से चलने वाले जितने भी व्हीकल्स हों, ये सभी चाज़ें आने वाले वक्त में हमारे काम में आ सकती हैं। इसके माध्यम से आने वाले समय में काफी सारी चीज़ें भारत को बूस्ट करेंगी, अर्थात् प्रगति की ओर ले लाएंगी। ...(**समय की घंटी**)... इस तरह से आने वाले वक्त में हम विश्व में भारत देश को प्रस्थापित करने वाले हैं। मैं तो चाह रहा था कि सामने वाले लोग रहें और सुनें कि \* धन्यवाद, जय हिन्द! वन्दे मातरम्।

श्री सकलदीप राजभर (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया।

महोदय, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 को हमारी केंद्र सरकार लेकर आई है। यह विधेयक खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने के लिए लाया गया है। खनन क्षेत्र को विनियमित करने वाले इस विधेयक से खान और खनिज अधिनियम, 1957 में संशोधन हो जाएगा। इस विधेयक के अनुसार 29 खनिजों की खोज के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जिनमें सोना, चांदी, कांसा, कोबाल्ट, निकल, सीसा, पोटाश और रॉक फॉस्फेट शामिल हैं। अभी हमारा देश ज्यादातर खनिजों के आयात पर निर्भर करता है। यह प्रस्तावित अन्वेषण लाइसेंस और गहरे खनिज अन्वेषण के सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगा। यह विधेयक काफी अहमियत रखता है, क्योंकि इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की संस्थाओं को महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस देना है। इसके अलावा, यह केंद्र सरकार को विशिष्ट महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित खनन पट्टों और मिश्रित लाइसेंस के लिए नीलामी आयोजित करने का विशेष अधिकार भी प्रदान करता है।

<sup>\*</sup> Not recorded.

इस विधेयक के कानून बनने से लिथियम जैसे क्रिटिकल खनिजों के खनन में निजी क्षेत्र में बोली लगाने और खनन की अनुमति भी मिलेगी। इस विधेयक में निजी क्षेत्र को 12 परमाणु खनिजों में से 6 के खनन की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है। मौजूदा अधिनियम के तहत, सभी 12 परमाणु खनिज सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा खनन और अन्वेषण के लिए आरक्षित हैं। निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने वाले परमाणु खनिज लिथियम की माइन इसलिए भी अहम है, क्योंकि इलैक्ट्रिक वाहनों और अन्य ऊर्जा भंडारण उपकरणों में बैटरी के निर्माण में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर के लिए रास्ता खुलने पर देश में इन खनिजों की खोज और खनन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। यह विधेयक खनन क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव भी लायेगा। पहले देश काफी हद तक कोयले के आयात पर निर्भर था, लेकिन अब कोयला उत्पादन में वृद्धि के साथ स्थिति बदल गयी है और हो सकता है कि भविष्य में भारत को कोयले के आयात के लिए किसी भी देश पर निर्भर न रहना पड़े। इस विधेयक को भारत की शुद्ध-जीरो उत्सर्जन प्रतिबद्धता के लिहाज़ से भी काफी महत्वपूर्ण माना गया है।

निजी क्षेत्र की खोज के लिए खोले जाने वाले परमाणु खनिज लिथियम का इलैक्ट्रिक वाहनों और अन्य ऊर्जा भंडारण उपकरणों में बैटरी के निर्माण में उपयोग किया जाता है। इन खनिजों का अंतरिक्ष उद्योग, इलैक्ट्रॉनिक्स, संचार, ऊर्जा क्षेत्र, इलैक्ट्रिक बैटरी में प्रयोग किया जाता है। उक्त सूची से इन खनिजों को हटाने पर इन खनिजों की खोज और खनन को निजी क्षेत्र के लिए भी खोला जाएगा। नतीजतन देश में इन खनिजों की खोज और खनन में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है।

इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधन एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत करने जा रहा है, जिसके प्रमुख परिणामों में से एक, एक बिलियन टन कोयले का विशाल उत्पादन है, जो भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। ...(**समय की घंटी**)... यह भारत में खनन और खनिज क्षेत्र के भविष्य को एक ठोस आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

हमारी केंद्र सरकार के द्वारा यह विधेयक हमारे दूरदर्शी और यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में लाया गया एक क्रांतिकारी विधेयक है, जो देश के खनन क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव लेकर आएगा और एक गेम चेंजर साबित होगा। इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से एक सुझाव जोड़ने के लिए निवेदन करना चाहता हूं। एक्वायर की गई जमीनों का मुआवजा भी जनता को दिलाने हेतु एक नया कदम उठाने के संबंध में मैं कहना चाहता हूं। मैं इस महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक को लाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। ...(**समय की घंटी**)... मैं इस विधेयक का भरपूर समर्थन करता हूं और अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति : धन्यवाद, माननीय सकलदीप राजभर जी। अब माननीय मंत्री जी का जवाब।

श्री प्रहलाद जोशीः सर, इस बिल की चर्चा में 11 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है - डा. सस्मित पात्रा जी, अयोध्या रामी रेड्डी जी, डा. मु. तंबी दुरै जी, वि. विजयसाई रेड्डी जी, जी.के. वासन जी, दीपक प्रकाश जी, बाबू राम निषाद जी, आदित्य प्रसाद जी, सुमित्रा बाल्मीक जी, जुगलसिंह लोखंडवाला जी, सकलदीप राजभर जी। मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद समर्पित करता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। जिस तरीके से दुनिया बदलती जा रही है, the way in which the world is changing, in that perspective, हमको भी हमारे देश में जो खनिज संपदा है, नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज़ हमारे पास होते हुए भी ...(व्यवधान)...

# श्री उपसभापति : प्लीज़, शांति बनाए रखें।

श्री प्रहलाद जोशी : हम उनको इम्पोर्ट करते हैं। एक अंदाजा है कि हमारे देश में most precious 95 minerals हैं। इनमें surficial minerals, deep-seated, critical, rare earth minerals हैं, लेकिन इन सबके होते हुए भी हम इम्पोर्ट करते हैं। शुरुआत में जब कोयला और खनन मंत्री के रूप में मुझे माननीय प्रधान मंत्री जी ने जिम्मेदारी दी और मैं प्रधान मंत्री जी से मिलने गया, तब प्रधान मंत्री जी ने मुझे पूछा कि क्या आप कोयला के बारे में कुछ जानते हैं? मैंने कहा कि सर, मैं दक्षिण से आता हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता हूं। मैं केवल इतना ही समझता हूं कि कोयला जलाने से बिजली आती है। प्रधान मंत्री जी ने मुझसे कहा कि इतना ही जानते हो, तो ठीक है। बाद में मैंने पूछा कि आपका मार्गदर्शन क्या है? प्रधान मंत्री जी ने मुझे एक चीज़ कही, एक सेन्टेंस कहा कि देखों हम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, कूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, तो मैं मान सकता हूं और में टॉलरेट भी कर सकता हूं, लेकिन अगर हम कोयला इम्पोर्ट करते हैं, तो यह हम देश के लिए बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, we are committing a sin towards the nation. इसका अर्थ होता है - कोयला, जो surficial minerals है और हम ऐसे बहुत surficial minerals इम्पोर्ट करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ policy paralysis, discretion route, corruption, चाचा का फायदा करो, मामा का फायदा करो, भतीजे का फायदा करो, फलां का फायदा करो आदि कारणों से इस देश में इतना सब होते हुए भी हम इसको इम्पोर्ट कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसीलिए 2021 में हम कोयला और खनन क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं। इस सदन में भी वह पारित हआ। मैं सभी सदस्यों को, सदन को धन्यवाद समर्पित करता हं। इसके बाद हम एक और प्रपोज़ल लाए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि सदन यह स्वीकार करे। 24 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो इस लिस्ट में हैं। हमने टोटल 30 क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट किए हैं, कुछ माइनर मिनरल्स हैं और कुछ हमारे देश में नहीं हैं। ऐसे मिनरल्स, जो हमारे देश में नहीं हैं और माइनर मिनरल्स हैं, उनको छोडकर मुलतः इस बिल में 24 मिनरल्स के बारे में, इसके एक्सप्लोरेशन के बारे में, इसकी नीलामी के बारे में कुछ बदलाव लाने का प्रस्ताव इस बिल में रखा है।

### 3.00 P.M.

लिथियम, कोबाल्ट जैसे जो मिनरल्स हैं, वे energy transition achieve करने के लिए हैं। इनकी बहुत ही अहम भूमिका है, लिथियम, कोबाल्ट और ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स की बड़ी भूमिका है।

जहां तक विश्व बैंक की रिपोर्ट का सवाल है, इसके अनुसार 2050 तक लिथियम की डिमांड 965 परसेंट बढ़ेगी। हमारे देश के संबंध में ऑलरेडी एक वक्ता ने कहा है कि 23 हजार

करोड रुपये का हमने इसका इम्पोर्ट किया है। माननीय प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य है और देश का लक्ष्य है कि Net Zero Emission करना है, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर आगे जाना है, इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढती जा रही है। इसके लिए लिथियम की जरूरत है, कोबाल्ट की जरूरत है। हमने एक संकल्प लिया है, हमने 2070 तक Net Zero Emission के लिए कमिटमेंट किया है। For this reason also, critical minerals की importance बहुत ज्यादा हो रही है। In order to bring it at par with the world, the developed countries, we are bringing this legislation, and इसमें आज के दिन जो प्रावधान है, उस प्रावधान में एक तो mining licence देना है, mining licence कब देते हैं - तो हमारे जो पीएसयूज़ हैं, उनमें mainly GSI and MECL है, ये exploration G-2 level करने के बाद ही हम ML देते हैं। इनको G-2 तक आने में वर्षों लग जाते हैं। अभी तो हमने कुछ बदलाव किया है और हमने composite licence देने का कार्य किया है। एक तो हम ML देते हैं और बाद में बदलाव लाकर मोदी जी के कालखंड में हमने composite licence देने की एक व्यवस्था शुरू की है। हम composite licence में भी full exploration लेते हैं और उसको करने के लिए कम से कम G-4 या G-3 तक exploration करके देना पड़ता है। इसीलिए deep-seated minerals के लिए, critical minerals के लिए, जैसे कहा गया है बहत difficult है। Exploration for deep-seated minerals is the most difficult job and it is also highly expensive. इसके कारण हम कोयले में भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, iron ore में भी अच्छा कर रहे हैं, जिसको हम surficial minerals बोलते हैं, उसमें हमारी परफॉर्मेंस ठीक है। पिछले 9 वर्षों में कई राज्य सरकारों के एक्टिव co-operation के साथ, जैसे ओडिशा है, मध्य प्रदेश है, कर्णाटक है, इनमें active co-operation and initiation के कारण 9 वर्ष में कम के कम surficial mineral में तो हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जो in deep-seated minerals हैं, the exploration itself is very expensive. इस exploration के expensive होने के कारण पीएसयुज़ इसे कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर भी रहता है कि पहले कोयले का दे दो, iron ore का दे दो, उसका जल्दी-जल्दी पैसा भी मिल जाता है।

दूसरी बात इसमें यह होती है कि इसमें deep-seated करने के लिए एक्सपेंडिचर ज्यादा होने के कारण कभी-कभी पीएसयूज़ भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। दुनिया में क्या है? मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया, जो हमसे geographically चार गुना है, it is four times larger than India. But almost nearly 100 per cent उनका exploration हो गया है। उनका जो ओजीपी है, अर्थात् Obvious Geological Potential है, उसका हंड्रेड परसेंट exploration हुआ है। यह हमसे ज्यादा है। उनकी आबादी कम है, उनकी 2.5 crore आबादी है। Their population is only 2.5 crore and it is four times bigger than India. But they have completed the exploration. How? The only reason is that they have allowed investment in exploration itself. In the exploration itself, they allowed private participation with private investment. माइनिंग करने के लिए अलग कंपनी होती है और exploration करने के लिए अलग कंपनी होती है। जो exploration करते हैं, उनको junior miners. Junior miners exploration करने के बाद अपना स्टेक लेकर प्राइवेट पार्टी को बेच सकते हैं। जो रॉयल्टी सरकार को मिलनी चाहिए, वह मिलती है।

महोदय, हमारे देश में जुनियर माइनर्स का काँसेप्ट नहीं था। इसके साथ ही एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देने का भी प्रोविज़न नहीं है। हमने exploration करने की पूरी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार के ऊपर रखी है, इसीलिए इसमें यह बदलाव लाया जा रहा है। हम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देंगे। हमारे देश में 2014 के बाद माननीय मोदी जी एक transparent auction system लाए हैं। Through auction system only हम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर देने का एक most transparent system लाए हैं। हम एक junior miners का concept ला रहे हैं। उन्हें attract करने के लिए इस revenue sharing में उनका एक portion नीलामी के रूप में लाए हैं। Through auction, we are keeping some provision for revenue sharing for junior miners who are going to invest there. If there is any viability gap funding, we are seriously considering funding it through NMET also. जब geological reports मिलेंगी, तब उसके बाद हम ऑक्शन कर सकें, सरकार ऑक्शन कर सके - एक बार एक्सप्लोरेशन होने के बाद, एक वर्ष में इसका ऑक्शन करके जो रेवेन्यू शेयर जूनियर माइनर को मिलना चाहिए, वह मिलता है। इसके कारण बड़ी मात्रा में हमारा एक्सप्लोरेशन बढ़ जाएगा और एक्सप्लोरेशन बढ़ने के कारण हमारे देश में जो critical minerals हैं - हम यह सिर्फ deep-seated and critical minerals में कर रहे हैं। यह deep-seated and critical minerals में करने के कारण हमारे lithium, cobalt, gold and diamond, जो deep-seated and critical minerals हैं, rare earth minerals हैं, इनमें एक्सप्लोरेशन करने का एक बहुत बड़ा स्टेप बन जाएगा।

महोदय, इसमें पोटाश भी है। राजस्थान का बीकानेर - माननीय अर्जुन मेघवाल जी मुझे बार-बार याद दिलाते रहते हैं कि पोटाश का एक्सप्लोरेशन कीजिए। वे पीछे ही बैठे हैं। इसमें भी जूनियर माइनर्स का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। मुझसे कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोगों ने अमेंडमेंट्स भी दिये हैं, इसके बाद क्या आएगा? कुछ करते नहीं तो आएगा कैसे? At least we should go forward, request and offer it to the junior miners who are there in the world and tell them that there is a provision for revenue share in India also and there is the most transparent system in India today. Nowhere such a transparent system is there in the country. जो मोदी जी के कालखंड में हुआ है। हम आह्वान कर सकते हैं। हम जितने बदलाव 2021 में लाए, मुझे उनके बारे में इस सदन को बताने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि हमने उस टाइम सब राज्य सरकारों से बात की। इसमें ओडिशा सरकार ने भी हमें बहुत अच्छे सजेशंस दिए थे। कर्णाटक की उस टाइम की सरकार ने भी कुछ सजेशंस दिए थे, मध्य प्रदेश सरकार ने भी दिए थे। इन सब सरकारों के सजेशंस के बाद 2021 में हम जो बदलाव लाए, सिर्फ उनके कारण हमारा Obvious Geological Potential, in 60 years, was 5.7 lakh square kilometres; in nine years of Modi Government, it is 6.88 lakh square kilometers. इस ओजीपी में हमारा एक्सप्लोरेशन 10 परसेंट होता था। The maximum exploration was ten per cent. In these nine years, we have reached 30 per cent. अगर हम सब के सहयोग से और राज्य सरकारों के सहयोग से इस माइनर मिनरल्स का कंसेप्ट यशस्वी होता है, तो हम भी इसमें कम से कम 50 परसेंट से आगे जा सकते हैं। हमें लिथियम की रिक्वायरमेंट है, कोबाल्ट की रिक्वायरमेंट है, गोल्ड की रिक्वायरमेंट है। मैं इसके बारे में आपको एक आँकड़ा बताना चाहता हूँ। हम 800-900 टन गोल्ड हर साल इम्पोर्ट करते हैं। We are importing around 800-900 tonnes of gold. हमारे पास गोल्ड है, लेकिन डीप-सीटेड और एक्सपेंसिव होने के कारण हमें गोल्ड इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। लास्ट ईयर हमने कोबाल्ट इम्पोर्ट किया है, निकल इम्पोर्ट किया है, गोल्ड इम्पोर्ट किया है। गोल्ड के ऊपर जीएसआई ने हमें 55 रिपोर्ट्स दी हैं, इसके बावजूद नीलामी भी नहीं हो रही है। मैं नेक्स्ट प्वाइंट में इसके बारे में बताऊँगा। In the overall world, whatever is being invested for exploration, in India, we are investing not even one per cent for exploration. That is why, we have brought this Amendment.

हमने इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए प्रावधान रखा है। इस प्रावधान से देश में स्पेशियली डीप-सीटेड और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में इनके एक्सप्लोरेशन और बाद में इनके प्रोडक्शन में जो वृद्धि होगी, यह बहुत बड़ी मात्रा में होगी। यह मेरी एक बहुत बड़ी आशादायक चिंता है।

सर, हम एक दूसरा प्रावधान एटोमिक मिनरल्स के बारे में लाए हैं। There are around 12 atomic minerals in the country. Out of these 12, we have withdrawn six, such as lithium, titanium, beryl and other beryllium bearing minerals, niobium, tantalum and zirconium. These are the six minerals. इनका नॉन-एटोमिक एप्लिकेशन ज्यादा है। लिथियम को एटोमिक मिनरल्स में क्यों रखा गया था? The reason was that it was being used in the atomic reactor. Only for that reason, it was kept in the atomic minerals. Now, its application is in lithium ion batteries. कई चीजों में लिथियम का जो एप्लिकेशन है, वह नॉन-एटोमिक एप्लिकेशन है। इसके साथ ही साथ, ये जो 6 मिनरल्स हैं, मैं इनके बारे में सदन और देश को आश्वस्त करता हूँ, एक्सपर्ट के साथ बातचीत और कंसल्टेशन करने के बाद, after having full consultation, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 6 मिनरल्स हैं, इनके बारे में जो एप्रिहेंशन व्यक्त किया जा रहा है, these minerals are not fissile or radioactive in nature. There is no such thing. लेकिन इनका एप्लिकेशन एटोमिक एप्लिकेशन से ज्यादा और दूसरी चीजों में है, इसके कारण हमने इनको निकाला है... और atomic minerals रहने के कारण उसका exploration नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी permission ही नहीं मिलती है, इसलिए हमें उसको withdraw करना पडा। हमने Atomic Minerals Department के साथ डिटेल में चर्चा की और हमारे ऑफिसर्स ने तो कई बार इस विषय पर चर्चाएं कीं। मैं स्वयं सेक्रेटरी के साथ इस क्षेत्र के बहुत बड़े साइंटिस्ट से मिलने के लिए गया था, उनसे कुछ बातों का अर्थ पूछने के लिए गया था, चूंकि में स्वयं उन बातों को समझ नहीं पाया था। यह बात बताने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैंने उनसे वे बातें पूछीं, जिनको हम नहीं जानते थे, जैसे, whether it contains fissile activity, whether is radioactive in nature. हम और हमारे मंत्रालय के Secretary, Additional Secretary, सब मिल कर इस काम के लिए मुम्बई गए थे। इस विषय के साइंटिस्ट्स से मिल कर, उनके साथ इन चीज़ों को कन्फर्म करके, बातचीत करने के बाद ही हम ये 6 minerals withdraw कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारे देश में जो EV होंगे या हम जो Net Zero पर जा रहे हैं, उनमें इन मिनरल्स का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, इसीलिए इन मिनरल्स को withdraw किया जाएगा।

हमारा एक तीसरा प्रपोज़ल भी है। There are only three major proposals in this. हमारा तीसरा प्रपोज़ल यह है कि ये 6 minerals, plus 18 critical minerals, out of 30 critical minerals के लिए हमने सभी सेक्टर्स से consultation के बाद इस बिल को रखा था। उसके बाद, 18 minerals, which are critical minerals, and the six minerals, which were in atomic list, we have withdrawn that. हमने उनको withdraw करके, 24 minerals में critical और strategic minerals की लिस्ट में we have created Part D in the First Schedule. इनमें 18 plus 6 यानी 24 critical minerals हैं। Molybdenum, rhenium, tungsten, graphite, fertilizer-related, potash, phosphate without uranium, etc., सब मिलाकर इनमें 24 minerals हैं। इन 24 minerals का exploration करने के बाद भारत सरकार उनका auction करेगी, लेकिन इस पर भी कुछ लोग आपत्ति उठा रहे हैं।

Actually, let us try to understand that we are taking the responsibility. The entire revenue goes to the State Government. Not even a single naya paisa comes to the Central Government. The entire revenue goes to the State Government but in spite of that, we are sharing the responsibility. Why are we taking this responsibility? It is because, as I said earlier also, total 106 block reports of these critical minerals have been handed over to the State. At present, the States have to auction. Some of the States like Odisha and Madhya Pradesh are auctioning. Even in surficial minerals, I am telling you, माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं क some of the surficial minerals, for which reports have been handed over to the State Governments, they are not auctioning it. जो स्टेट्स auction कर रही हैं, जैसे 2014-15 से पहले ओडिशा का revenue Rs.5,000 crores था and in 2021-22, it became Rs.50,000 crores because they utilized these reforms. It is Rs.50,000 crores. फिर भी कुछ स्टेट्स इस काम को नहीं कर रही हैं। Some States are not doing it. For that, these critical minerals are needed for the growth of our economy. Hon'ble Prime Minister has said that we have become the fifth largest economy and in our third term, we are going to become the third largest economy of the world. To become the third largest economy of the world, we need these critical minerals. हम lithium चाहते हैं, cobalt चाहते हैं, gold चाहते हैं, diamond चाहते हैं, लेकिन क्या इनको वैसे ही import करना चाहिए, जैसे हम coal import करते हैं?...(व्यवधान)... मैंने सोने के बारे में बोल ही दिया है।...(व्यवधान)... हां, मानगढ़ गांव में सोना है और जहां तक मैं जानता हूं, शायद वहां G4 level का कुछ exploration भी चल रहा है। Sir, these are all the things. मैं आपको अभी बता रहा हूँ। बाकी सबके डिटेल्स मैं आपसे ले लेता हूँ। We have handed over 55 reports of the gold. ऑक्शन नहीं हुआ है। उसमें 13 G-2 means highest level of exploration होने के बाद भी स्टेट्स अगर auction नहीं करती हैं, तो देश को नुकसान होगा या नहीं होगा, यह आप मुझे बताइए। हम तो वैसे ही rare earth का import करते हैं। Do you need the import continuously and perpetually? Some people are telling as to why this responsibility is taken over by the Central Government. तो actually हमारे ऑफिसर्स को भी थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ...(व्यवधान)... एक nominated authority बनानी पड़ेगी, इसका document create करना पड़ेगा, एक agency hire करनी पड़ेगी। सब कुछ करने के बाद स्टेट को पैसा जाता है। फिर भी आपत्ति क्या है? स्टेट गवर्नमेंट mining concession भी अन्त में देती है। यह करने से पहले जितने concerned Departments हैं, concerned State Governments हैं, उनसे भी हम consultation करते ही हैं। Without consultation काम कैसे चलता है? हमारे यहाँ federal structure है। इसीलिए हम इसमें तीन प्रावधान लेकर आए हैं। जैसा मैंने कहा, तंबी दुरै जी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी एक भी auction का काम नहीं कर रही है। ...(व्यवधान)... तेलंगाना में एक भी auction नहीं हुआ है। ...(व्यवधान)... कुरल में नहीं हो रहा है, बिहार में नहीं हो रहा है, वैस्ट बंगाल में नहीं हो रहा है। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ... (Interruptions)...

श्री प्रहलाद जोशी : 107 से अधिक रिपोर्ट्स देने के बाद बावजूद भी, after giving 107<sup>th</sup> Report also, if auctions are not being held by the State Governments and when revenue goes to them, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे ही मूक प्रेक्षक बनकर बैठ नहीं सकती, इसीलिए हम यह बदलाव लाए हैं।

सर, इसमें मैं यह भी कहना चाहता हूँ, I am going to tell this House, and through this House, to the entire country कि पहले की तरह मामा, भतीजे या भांजे को नहीं मिलता है, जो होता है, पूरा transparent system है; whether it is junior miners or mining licence or composite licence, it will be through auction-process and it will be most transparent auction process. ...(Interruptions)... माफिया के राज को खत्म करना है, तो स्टेट में राज्य सरकार को बदलाव करना चाहिए, अच्छी सरकार लानी चाहिए। ...(व्यवधान)... मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। कोयले के क्षेत्र में घोटाला हुआ था, माइनिंग के क्षेत्र में घोटाला हुआ था। First-come-first serve - हमारा एक OAMDR का बिल आने वाला है। उसमें कैसे-कैसे आवंटन किया गया, यह भी बाद में उस बिल के लाने के समय बताऊँगा। CBI enquiry की भी बात है। पिछली सरकार की पॉलिसी के कारण एक एमपी और एमपी के सुपुत्र जेल में जाने के कगार पर हैं। ...(व्यवधान)... इस प्रकार यह स्थिति है। इसमें 2020-21 के amendment में हम NMET लाए। उसके बाद Obvious Geological Potential और exploration भी ज्यादा हुआ है। में बता रहा हूँ कि first time in the Independent India, mineral exploration के trust के through राज्यों को बुला-बुला कर पैसे दे रहे थे। आप पैसे लो, exploration करो, auction करो। हम auction के लिए पैसे दे रहे हैं, ऐसी मोदी जी की सरकार है। This is the Modi Government. हम सब सरकारों को बुला रहे हैं, मंत्रियों को बुला रहे हैं, सेक्रेटरीज़ को बुला रहे हैं कि आप पैसे लेकर जाओ और exploration करो, पैसे लो और auction करो। तो हम auction करने के लिए पैसे दे रहे हैं। This is what the difference between Modi Government and other Governments. This is what the federal structure we believe. हमने District Mineral Foundation की स्थापना 2015 में की थी। अब इसका बड़ी मात्रा में कलेक्शन हो रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने District Mineral Foundation को लेकर कहा था, I quote, "The District Mineral Foundation has been formed to ensure that there is no shortage of money for the development of tribal areas", क्योंकि, हमारे जो भी minerals हैं, वे ट्राइबल एरियाज़ में हैं। The Prime Minister continues, "The idea is that part of the wealth emanating from tribal areas should be invested in tribal areas." यह प्रधान मंत्री जी की सोच है। जहाँ से हम खनन करते हैं, नैसर्गिक संपत्ति का उत्पादन करते हैं, इससे देश की Economy में growth होती है, लेकिन हमारे ट्राइबल भाई-बहनों को इससे थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिए उस कष्ट का निवारण करने के लिए हम पैसा invest करते हैं। यह डीएमएफ फंड है और यह पहली बार इस देश में हुआ है।

सर, यूँ तो बताने के लिए बहुत-कुछ है, फिर भी मैं समझता हूँ कि इशारा हो रहा है। अभी दो बिल और हैं। मैं अंत में कुछ ही बातें कहना चाहता हूँ। हम जो भी अमेंडमेंट लेकर आए हैं, उसके ऊपर उठे प्रश्नों का भी उत्तर देना चाहते हैं। इसमें अमेंडमेंट यह है कि PSUs का exploration करना है। PSUs are already exploring. PSUs को पूरा नहीं पड़ पा रहा है, we are not able to do exploration, इसीलिए हम private investment को ला रहे हैं और वह भी transparent system से ला रहे हैं। He has also suggested grant of exploration licence only with the consent of all the State Governments. All these proposals will defeat the basic purpose. Otherwise, कुछ exploration भी नहीं होता है और mining भी नहीं होती है। मैं यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट प्वाइंट कहना चाहता हूँ। 2030 तक देश की जो power requirement है, that is going to be doubled. At that time, we need all these critical minerals for storage. अगर हम solar के through बिजली का उत्पादन करते हैं, तो storage के लिए lithium battery चाहिए, electric vehicles के लिए चाहिए। For all these things, we need this. That is why now the PSUs are already doing exploration and along with PSUs, these critical minerals will be explored by the junior miners. मैं सारी दुनिया को आह्वान करता हूँ कि भारत में एक बदलाव आया है। मैं आपको एक incident के बारे में बताकर, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक JV company कोयले की नीलामी में participate कर रही थी, तो पहले उन्हें बहुत डर था कि उन्हें कितने लोगों से मिलना पड़ेगा, मंत्री जी से मिलना पड़ेगा, सेक्रेटरी से मिलना पड़ेगा, एमपी को पकड़ना पड़ेगा, इनके पास जाना पड़ेगा, पर जब उन्होंने हमारा online auction system देखा, तब उन्होंने बहुत ही हर्ष जताया। भारत में इतना बदलाव आ सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता था, उन्होंने ऐसे विचार व्यक्त किए। These are the things which have changed in the last ten years under the leadership of Prime Minister, Modiji.

सर, एक और अमेंडमेंट आया है, 'not to remove Lithium, Titanium and Tantalum from the list of atomic minerals'. These are the important critical minerals which are needed to be taken out of the list of atomic minerals, increasing their exploration and

[RAJYA SABHA]

production and making India *atmanirbhar*. भारत को आत्मनिर्भर भी बनना है और हम भारत को दुनिया का big brother नहीं, तो कम-से-कम elder brother तो बनना ही चाहते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है। We want to become elder brothers. For that, we need all these minerals to build modern India, new India, which is the concept of Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi, and, by 2047, we want to become developed India. For that developed India, these minerals are needed. And, with folded hands, I appeal to all to pass this Bill and allow us to continue our progress, development and the reforms. Thank you, Sir.

### श्री उपसभापति : धन्यवाद, माननीय मंत्री जी। Now, the question is:

"That the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

### The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill. In Clause 2, there are two Amendments; Amendments (Nos. 1 and 2) by Shri Elamaram Kareem. Shri Elamaram Kareem is absent. Amendments not moved.

Clause 2 was added to the Bill. Clauses 3 to 8 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 9, there are eight Amendments; Amendments (Nos. 3 to 10) by Shri Elamaram Kareem. Shri Elamaram Kareem is absent. Amendments not moved.

Clause 9 was added to the Bill. Clauses 10 to 19 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 20, there are four Amendments; Amendments (Nos. 11 to 14) by Shri Elamaram Kareem. Shri Elamaram Kareem is absent. Amendments not moved.

Clause 20 was added to the Bill. Clause 21 was added to the Bill. Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill. MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Hon'ble Minister, Shri Pralhad Joshi, to move that the Bill be passed.

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

### The Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon'ble Members, now the next Bill is the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023. Hon'ble Bhupender Yadav*ji* to move a motion for consideration of the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

माननीय उपसभापति महोदय. हमारे देश में जो फॉरेस्ट विषय है, जब देश के संविधान का निर्माण हुआ तब यह राज्य सूची का विषय था। बाद में, 1980 के दशक में हम संविधान में संशोधन लेकर आए और तब फॉरेस्ट विषय को समवर्ती सूची में रखा गया। उसके बाद, 1980 का जो फॉरेस्ट कंज़र्वेशन ऐक्ट आया, उसमें जितनी भी भूमि फॉरेस्ट की डायवर्ट होती थी, उसके डायवर्ज़न को स्वीकृति देने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास आया। हमने देखा है कि विशेष रूप से जब कांग्रेस का शासनकाल रहा, वर्ष 1950 से 1980 के दशक तक देश में लगभग 45 लाख हेक्टेयर ज़मीन का डायवर्ज़न हुआ। उसके बाद 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन का डायवर्ज़न हुआ, लेकिन 12 लाख हेक्टेयर ज़मीन compensatory forestation में प्राप्त भी हुई। यहां मैं यह कहना चाहुंगा कि दुनिया की चलने वाली पर्यावरण वार्ताओं में भारत ने जो अपने 8 लक्ष्य दिए हैं, उनमें से 3 लक्ष्य quantitative हैं, बाकी 5 लक्ष्य qualitative हैं। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के विज़न के कारण भारत दुनिया के उन चूनिंदा देशों में और जी-20 के उन एकमात्र देशों में है, जिसने दो लक्ष्यों को समय से 9 साल पहले प्राप्त किया, जो भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसमें एक renewal energy के लक्ष्य को प्राप्त करना और दूसरा carbon emission के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसलिए Glasgow के बाद जब Sharm el-Sheikh में revised NDC देने थे, तब भारत ने अपने revised NDC भी दिए। हमारा जो तीसरा लक्ष्य है, वह देश के carbon footprint को shrink करना और देश की हरित पट्टी का विस्तार करना है। इसी कारण हमारे देश में हम